



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2019/माघ 3, 1940
No. 264]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2019/MAGHA 3, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2019

**परिसरों के मिश्रित उपयोग /व्यावसायिक उपयोग और दुकान एवं आवास प्लॉटों/बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्धारित परिसरों हेतु उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।**

**का.आ. 372(अ).**—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में का.आ. 358(अ) दिनांक 21 जनवरी, 2019 द्वारा एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

उक्त अधिसूचना में शब्द 'ड्राफ्ट अधिसूचना' अनजाने में प्रकाशित हो गया था जिसे 'अधिसूचना' के रूप में पढ़ा जाए। इस अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु यथावत रहेंगी।

[फा. सं. एफ 2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd January, 2019

**Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.**

**S.O. 372(E)**—A Notification was published by the Delhi Development Authority in exercise of powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. No. 358(E) dated 21<sup>st</sup> January, 2019.

The word 'Draft Notification' was published in the said notification inadvertently which may be read as 'Notification'. The other contents of this notification shall remain unchanged.

[F. No. F. 2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2019

**आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग /व्यावसायिक स्ट्रीट और व्यावसायिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए दि.मु.यो.- 2021 के कारण बढ़ाए गए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण।**

**का.आ. 373(अ).**—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में का.आ. 359(अ) दिनांक 21 जनवरी, 2019 द्वारा एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

उक्त अधिसूचना में शब्द 'ड्राफ्ट अधिसूचना' अनजाने में प्रकाशित हो गया था जिसे 'अधिसूचना' के रूप में पढ़ा जाए। इस अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु यथावत रहेगी।

[फा. सं. एफ. 2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd January, 2019

**Fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021.**

**S.O. 373(E).**—A Notification was published by the Delhi Development Authority in exercise of powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. No. 359(E) dated 21<sup>st</sup> January, 2019.

The word 'Draft Notification' was published in the said notification inadvertently which may be read as 'Notification'. The other contents of this notification shall remain unchanged.

[F. No. F. 2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.